म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन /कार्टीलाईजेशन/1716 भोपाल, दिनांक 11/04/2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
..... जिला.....(समस्त)

विषयः–मंडियों में व्यापारियो द्वारा किसान की उपज की मनमानी बोली लगाये जाने के संबंध मे दिशा–निर्देश बावत।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र कमांक/बी–6/नियमन/कार्टीलाईजेशन/1448–1449 दिनांक 06.03.2019

सन्दर्भित पत्र से, व्यापारी द्वारा कृषि उपज की कम बोली लगाने अथवा एकजुट होकर गुटबंदी (**Cartelization**) कर के कृषि उपज के वास्तविक भाव नही लगाते हुए मनमाने तरीके से भाव लगाने की किसानों द्वारा की गई शिकायत पर निराकरण की कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया था। इस संबंध मे कार्यवाही के निर्देश पुनः जारी किये जा रहे है।

2/ वर्तमान प्रावधानो के अंतर्गत इसके लिए केवल संबंधित किसान द्वारा सौदा अस्वीकार करने/निरस्त करने की व्यवस्था है और किसान को पुनः घोष विक्रय मे भाग लेने की छूट दी गयी है। कुछ स्थानों पर यह भी देखा गया है कि संबंधित किसान जब पुनः नीलामी मे अपना वाहन लगाता है तो व्यापारी, पहली बोली से बढ़कर बोली नही लगाने के लिए अन्य व्यापारियों को उकसाते है/दबाव बनाते है।

3/ इस प्रकार की गुटबंदी (**Cartelization**), अनुचित व्यापार पद्धति (**Unfair Trade Practice**) से व्यापारियों को हतोत्साहित करने के साथ–साथ किसानों के लिए भी सुविधा/विकल्प होना चाहिए, ताकि यदि वह इस प्रकार के किसी भी प्रकरण की शिकायत कर सकें और इस संबंध मे मंडी मे बेहतर निराकरण (Remedy) प्राप्त कर सके।

4/ इस प्रकार की शिकायतों के निराकरण के लिए मंडी स्तर पर एक उपसमिति का गठन किया जावे जिसमे निम्नानुसार सदस्य रहेंगे–

निर्वाचित समिति के अस्तित्व मे होने पर

(1) 02 निर्वाचित कृषक सदस्य – सदस्य
(2) 01 निर्वाचित व्यापारी सदस्य – सदस्य
(3) प्रांगण प्रभारी – सदस्य सचिव

निर्वाचित समिति के अस्तित्व मे नही होने पर

(1) 02 सहायक उपनिरीक्षक – सदस्य
(3) प्रांगण प्रभारी – सदस्य सचिव

5/ उक्त विषयक कोई शिकायत प्राप्त होने पर, समिति के द्वारा, प्रकरण की त्वरित जांच दोनों पक्षों की सुनवाई तथा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर, उचित निर्णय लिया जावे।

6/ यदि व्यापारी की गलती/त्रुटि पाई जाती है तो उसके विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया जावे और यदि इस प्रकार की त्रुटि बार–बार दोहराई जाती है तो व्यापारी का लायसेंस निलंबित/निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

7/ इस प्रकार गठित समिति का मंडी में पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर किसानों को इसकी जानकारी प्रदान की जावे।

8/ यदि कृषि उपज मंडी का अनुज्ञप्तिधारक अन्य अनुज्ञप्तिधाराकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मण्डी प्रागंण/प्रांगणों मे जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र मे कोई कार्य करे या अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी उपज का विपणन बाधित हो गया हो, निलंबित हो गया हो ; या रूक गया हो ; तो कृषि उपज मंडी की अधिनियम के धारा 33(ग) के अनुसार मण्डी समिति को अनुज्ञप्ति रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

9/ उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कर, प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–6/नियमन /कार्टीलाईजेशन/ 1717 भोपाल, दिनांक 11/04/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(2) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,..... (समस्त)
(3) भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति–(समस्त)
(4) चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर मण्डी बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
(5) गार्ड फाईल।

आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल